न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 141/2018/223 (2018/00141)

1. छीतर पुत्र मोहन,
2. राजेन्द्र पुत्र छीतर,

जाति साधू, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मास्टर दिनेश पुत्र राजेन्द्र पौत्र छीतर वल्द मोहन, आयु 6 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती संतोष पत्नि राजेन्द्र, जाति साधू, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. जसोदा पत्नी छीतर,
3. गोपाल पुत्र छीतर,
4. महेन्द्र पुत्र छीतर,
5. श्रीमती सन्जू पत्नी श्रीकान्त पुत्री छीतर,

समस्त जाति साधू, निवासी ग्राम बुधवाड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 16.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 63/2015.

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 04.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बुधवाड़ा, तहसील पीसांगन में अवस्थित वर्तमान खाता संख्या 212 नया 531 पुराना के खसरा नंबर 581, 582/2443, 687/2444, 704, 723, 2312, 2313, 2313/2992 कुल किता 8 कुल रकबा 5.10 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा निहित है । वादी प्रतिवादी संख्या 5 का पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत अपने दादा छीतर पुत्र मोहन की आराजी में विधिक अधिकार रखता है, वादी अपनी पैतृक आराजी में शांतिपूर्ण काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 वादी को बेदखल

करने पर आमादा है एवं अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी को उसके हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित करने की आज्ञाप्ति प्रसारित की जावे तथा प्रतिवादगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2018 को पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत दादा के जीवनकाल में उसकी सम्पति में से ना तो उसके पुत्र को एव ंना ही उसके पौत्र को किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न होता है परन्तु फिर भी इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को नजरअदांज करते हुए अधी0न्याया0 ने वादी का वाद उक्त भूमि में 1/10 हिस्से हेतु डिक्री कर दिया जो कतई प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने बगैर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये केवल मात्र सूक्ष्म रूप से उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधी0न्याया0 को रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एवं मौखिक साक्ष्य लिये जाने के उपरांत निर्णय करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । लोक अदालत कैम्पों में केवल मात्र दोनों पक्षकारों के राजीनामे से सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता था परन्तु आदेशिका दिनांक 16.5.2018 से स्पष्ट है कि केवल मात्र वादी की प्राकृतिक सरंक्षिका संतोष माता हाजिर थी एवं किसी भी प्रकार का राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ था फिर भी मनमाने तौर पर अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 अपीलांट का पोता है । विवादित आराजियात पैतृक आराजियात है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से हक व अधिकार निहित है । पैतृक आराजियात से रेस्पो0 संख्या 1 को वंचित नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दच्तावेजी साक्ष्यों एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के परिपेक्ष्य में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा निहित करता है । वादी प्रतिवादी संख्या 5 का पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत दादा छीतर पुत्र मोहन की आराजी मे ंविधिक अधिकार रखता है।

परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी को बेदखल करने पर आमादा है एवं अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में विवादित आराजियात छीतर पुत्र मोहनदास कौम साधू के नाम खातेदारी से दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 1/वादी मास्टर दिनेश राजेन्द्र का पुत्र होकर खातेदार छीतर का पोता है। सरपंच ग्राम पंचायत बुधवाडा ने भी प्रमाणित किया है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का विधिक वारिसान है । राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के दादा छीतर की खातेदारी की आराजियात होकर पैतृक आराजियात है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की आराजी में पोते का हक अधिकार निहित है । विवादित आराजियात पैतृक होने से विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 जो कि खातेदार छीतर का पोता है को विवादित आराजियात में 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर